Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग लडके के साथ मारपीट की घटना कारित करने वाले आरोपी अनुज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5500 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त अनुज पुत्र विनोद निवासी गुराना रोड कमला नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 311/16 धारा 323/504/506/377/511 भादवि व 7/8 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनुज को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त अनुज को धारा 377/511/504/506 भादवि में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक-23.04.24**

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 64/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की बलकटी बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 22.04.24 को थाना बालैनी पर वादी हवा सिंह पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम मंवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण (1)प्रशान्त पुत्र पवन कुमार, (2)सागर पुत्र संजीव कुमार, (3)परम पुत्र वीजेन्द्र उर्फ बिल्लू व (4)संजीव कुमार पुत्र इलवर निवासीगण ग्राम मंवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वादी की दुकान रौनक एग्रो सेन्टर मंवीकला पर आकर दुकान पर मौजूद वादी व अजय पुत्र बाबूराम के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी व जान से मारने की नीयत से हाथ में लिये लाठी-डण्डे व बलकटी से मारपीट की, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 64/24 धारा 307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 64/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित चल रहे 01 अभियुक्त प्रशान्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की एक बलकटी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

प्रशान्त पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण—

- घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की बलकटी बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिहं थाना बालेनी जनपद बागपत ।
2-का0 1037 अभिषेक यादव थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 23.04.2024**

थाना सिंघावली अहीर ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 5 पेटी, 15 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कब्जे से 5 पेटी, 15 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुये है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 135/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 पेटी, 15 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री धीर सिह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2.है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3.का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 23.04.24

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैंकिग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 136/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र पुत्र अमन निवासी ग्राम शोभापुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।